



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1657) पटना, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर 2025

अ0सू0सं0-“प्रेस (शाखा)-415/2019-556/सू0ज0स0वि0—बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नियमावली-2019” के नियम-8(1) में बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना (संशोधन) नियमावली-2022 के नियम-8(3) में निहित प्रावधान के आलोक में “उच्चस्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी” का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार — अध्यक्ष
 2. प्रभारी पदाधिकारी (प्रेस), सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार — सदस्य सचिव
 3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
वित्त विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून) — सदस्य
 4. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
श्रम संसंधन विभाग द्वारा मनोनित पदाधिकारी (उप सचिव से अन्यून) — सदस्य
 5. श्री बिनोद बंधु, स्थानीय संपादक, हिन्दुस्तान — सदस्य
 6. श्री अजय कुमार, संपादक, प्रभात खबर — सदस्य
 7. श्री अमिताभ श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, इंडिया टुडे — सदस्य
 8. श्री ए0के0 अहसानी, प्रधान संपादक, पिन्दार — सदस्य
 9. श्री ब्रजमोहन सिंह, एडिटर (इनपुट), न्यूज-18 बिहार — सदस्य
 10. श्री नीतीश चन्द्रा, ब्यूरो प्रमुख, इंडिया टी0वी0 — सदस्य
2. उक्त समिति की अवधि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दो वर्षों के लिए होगी।
3. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कोई दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बिधु भूषण चौधरी,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1657-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>